"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 3, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं. 31/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(146). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1),धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्‌द्वारा, राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 11/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच(79) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

(क) मद(iii) में, कॉलम (3) में,"सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर"केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (vi) में, कॉलम (3) में "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर"किसी स्थानीय प्राधिकारण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) मद (iii) और(vi) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः- "बशर्ते कि जहां सेवाओं की किसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";

(घ) मद (vii) के लिए कॉलम (3),(4) और (5)और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
"(vii) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में परिभाषित कार्य संवीदा की समग्र आपूर्तिकेंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो कि कार्य संविदा के मूल्य का 75% से अधिक गठन का होता है) शामिल है।	2.5	बशर्ते कि जहां किसी सरकारी इकाई को सेवाएं दी जाती हैं,उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, द्वारा सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी इकाई द्वारा प्राप्ति की जानी चाहिए।
(viii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपतटीय काम संविदा के संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 2 के खण्ड (119) में और संबंद्ध सेवाओं में परिभाषित कार्यसंविदा की समग्र आपूर्ति।	6	-
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं ।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए "औरशब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (vi) के लिए कॉलम (3) मेंऔर कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
"(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां ईंधन की लागत कोसेवा प्राप्तकर्ता से लिया जाता है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जानेया किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) की समान लीक में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण सं.(iv) देखें]
		या
	6	-";

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
"(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण सं.(iv) देखें]
	या	
	6	-
(vi)उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं	9	-";

(ड़) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
"(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु विचारण में शामिल किया गयाहै।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जानेया किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं.(iv) देखें]
	या	
	6	-";

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
"(v) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत । नोटः- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	-
(vi) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv), और (v) के अलावा वित्तीय और संबंधित सेवाएं	9	-";

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
"(vi) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार(टाइटल)के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत । नोटः- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	-
(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) के अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना पट्टे पर या किराये की सेवाएं,	माल में अधिकार(टाइटल) के स्थानान्तरण से जुड़े जैसे माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले केंद्रीय कर की समान दर	-";

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(i) मद(i) में, उप-मद(ग) हेतु, निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद;";

(ii) मद(i) में, उप-मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा:-"(घक) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से एसजीएसटी लगती है;";

(iii) मद(i) में,उप-मद (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;

(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा ब्रिक्री हेतु रखे जाने वाला कुत्ते और बिल्ली का भोजन के;

(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण;";

(iv) कॉलम (3) में मद (i)के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
"(iक) निम्नलिखित के संबंध में नौकरी के काम के माध्यम से सेवाएं- (क) छाते का निर्माण; (ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 6 प्रति शत की दर से सीजीएसटी लगती है ।	6	-";

(v) मद(ii) में उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 2.5 या शून्य प्रतिशत की दर से एसजीएसटी लगतीहै।";

(vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(iiक) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रतिशत की दर से एसजीएसटी लगती है,के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर किसी भी संव्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।	6	-";

(vii) मद (iii) में,कोष्ठकों आंकड़ो और शब्दों "और (ii)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द ", (iक), (ii) और (iiक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
(i) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं[समाचार पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित), पत्रिकाओं(जर्नल्स) और पत्रिकाओं(पीरियोडिकल्स) सहित], जिन पर 6 प्रतिशत या 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से एसजीएसटी लगता है,जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित हैं।	6	-";

(ii) पैराग्राफ 2 में,"मद (i) पर" शब्दों और अंकों हेतु,"मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ))], मद (vi) [उप-मद (ग)]"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यो को निष्पादित करना है ।

(x) सरकारी निकाय से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार,संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"।

छतीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(146). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 केखंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच (146), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छतीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 31/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 82/2017/CT/V (146). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 11/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (79), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification,

(iv) in the Table, -

(a) against serial number 3, -

A. in item (iii), in column (3), for the words "Government, a local authority or a Governmental authority", the words "Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;

B. in item (vi), in column (3), for the words "a local authority or a Governmental authority" the words "a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;

C. in items (iii) and (vi), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely : -

"Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be";

D. for item (vii), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely : -

(3)	(4)	(5)
"(vii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, involving predominantly earth work (that is, constituting more than 75per cent. of the value of the works contract) provided to the Central Government, State Government, Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be
(viii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 and associated services, in respect of offshore works contract relating to oil and gas exploration and production (E&P) in the offshore area beyond 12 nautical miles from the nearest point of the appropriate base line.	6	-
(ix) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii)and (viii) above.	9	-";

b. against serial number 8, for item (ii), in column (5), for the word "or" the word "and" shall be substituted.

c. against serial number 8, for item (vi), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely : -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Transport of passengers by any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle), has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	6	-";

d. against serial number 9, for item (v), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely : -

(3)	(4)	(5)
"(v) Transportation of natural gas through pipeline	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	6	-
(vi) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above	9	-";

e. against serial number 10, for item (i), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely : -

(3)	(4)	(5)
"(i) Renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle) has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	6	-";

f. against serial number 15, for item (v), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely : -

(3)	(4)	(5)
"(v) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1st July 2017;	65 percent. of the rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1st July, 2020.	-
(vi) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), (iv), and (v) above.	9	-";

g. against serial number 17, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely : -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1st July 2017;	65 percent. of the rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1st July, 2020.	-
(vii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	Same rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-";

h. against serial number 26,in column (3), -

(i) in item (i), forsub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -

"(c) all products falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";

(ii) in item (i),after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -

"(da) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 2.5per cent. or Nil;"

(iii) in item (i), after sub-item (e), the following sub-items shall be inserted, namely: -

"(f) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);

(g) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food put up for retail sale falling under tariff item 23091000 of the said Chapter;

(h) manufacture of clay bricks falling under tariff item 69010010 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";

(iv) after item (i), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Services by way of job work in relation to- (a) manufacture of umbrella; (b) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract CGST @ 6 percent.	6	-";

(v) in item (ii), after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely : -

"(c) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 2.5 per cent.or Nil.";

(vi) after item (ii), in columns (3), (4) and (5)in column (3) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely : -

(3)	(4)	(5)
"(iia) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 6 percent.	6	-";

(vii) in item (iii), for the word, brackets and figures "and (ii)" the figures, brackets, letters and word ", (ia), (ii) and (iia)" shall be substituted;

(i) against serial number 27, for item (i), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto in, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
(i) Services by way of printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 [including newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals], which attract SGST @ 6 per cent.or 2.5per cent.or Nil, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-";

(ii) in paragraph 2, for the words, brackets and figures "at item (i)", the words, brackets, figures and letters, "at item (i), item (iv) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (v) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (vi) [sub-item (c)]" shall be substituted;

(iii) in paragraph 4, after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ix) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90 percent. or more participation by way of equity or control,to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(x) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,

(i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90 percent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं. 32/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(147). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा,राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 12/2017 राज्य कर (दर) क्रमांक एफ -10-43-2017/वाक/पांच/(80), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है; यथा :-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं. 5 में, कालम (3) में शब्दों " सरकारी प्राधिकारी " के स्थान पर "केंद्र सरकार,राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम सं. 9ख और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ग	अध्याय 99	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति,जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारीनिकाय द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम सं. 21 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21क	शीर्ष 9965 or शीर्ष 9967	किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति,जिसमें गैर पंजीकृत नैमितिक कर-योग्य व्यक्ति भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्वारा प्रदान की गयी सेवाएँ:- (क) फैक्टरी एक्ट, 1948 (1948 का 63)के अंतर्गत पंजीकृत या उसके द्वारा अधिशाषित कोई कारख़ाना;या (ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट,1860(1860 का 12) के अंतर्गत या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी; (ग) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई को-आपरेटिव सोसाइटी; या (घ) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई बॉडी -कॉर्पोरेट ; या	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(ङ) कोई भी पार्टनरशिप फ़र्म चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी आते हैं; (च) कोई भी नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्रमाल एवं सेवाकर अधिनियम में पंजीकृत हो।		

(घ) क्रम सं. 23 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23क	शीर्ष 9967	किसी वार्षिक वृत्ति के भुगतान के एवज में किसी सड़क या किसी पुल तक पहुँच प्रदान करने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ङ) क्रम सं. 41में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

औद्योगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-व्यापारकी अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्योगिक इकाई या (ख) औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को,तथा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम / प्रतिस्ठान या ऐसे किसी निकाय द्वारा दीर्घ कालीन अवधि (तीन वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, का स्वामित्व 50% या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या आँय किसी भी नाम से जाना जाता हो)

(ii) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(यच) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यो को निष्पादित करना है ।

(यचक) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी

हो,और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(147). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 केखंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच (147), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 32/2017-State Tax (Rate)

No. F-10-82 /2017/CT/V (147). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 12/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (80), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

(ii) in the Table, -

a. in serial number 5, in column (3), for the words "governmental authority" the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or Governmental Authority" shall be substituted;

b. after serial number 9B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9C	Chapter 99	Supply of service by a Government Entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority, in the form of grants.	Nil	Nil";

c. after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21A	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agencyto an unregistered person, including an unregistered casual taxable person, other than the following recipients, namely: - (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any Co-operative Society established by or under any law for the time being in force; or (d) any body corporate established, by or under any law for the time being in force; or (e) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; (f) any casual taxable person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act.	Nil	Nil";

d. after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23A	Heading 9967	Service by way of access to a road or a bridge on payment of annuity.	Nil	Nil";

e. in serial number 41, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"Upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable in respect of service by way of granting of long term lease of thirty years, or more) of industrial plots or plots for development of infrastructure for financial business, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings or by any other entity having 50 per cent. or more ownership of Central Government, State Government, Union territory to the industrial units or the developers in any industrial or financial business area.";

(ii) in paragraph 2, for clause (zf),the following shall be substituted, namely: -

"(zf) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90 percent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(zfa) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,

(i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं. 33/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(148). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(81), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

(i) सारणी में क्रम सं० 9 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्य	भारतीय रिजर्व बैंक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(148). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 केखंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच (148), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 33/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 82 /2017/CT/V (148). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government on the recommendations of the Council hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 13/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (81), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"10	Supply of services by the members of Overseeing Committee to Reserve Bank of India	Members of Overseeing Committee constituted by the Reserve Bank of India	Reserve Bank of India.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017

आदेश 01/2017- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(149). — जहाँ कि छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7), एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक की इसका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है;

अतः अब छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथा

1. इस आदेश को छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,-

(i) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जोकि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक की इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।

(ii) आगे और भी यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जो कि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(149). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 केखंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच (149), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2017
Order No. 01/2017-State Tax

No. F-10- 82/2017/CT/V (149). — Whereas, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), hereinafter in this order referred to as the said Act, in so far as it relates to the provisions of section 10 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017.

2. For the removal of difficulties,-

   (i) it is hereby clarified that if a person supplies goods and/or services referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act and also supplies any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, the said person shall not be ineligible for the composition scheme under section 10 subject to the fulfilment of all other conditions specified therein.

   (ii) it is further clarified that in computing his aggregate turnover in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.